भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
E-3/240, अरेरा कालोनी/Arera Colony,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
दूरभाष /Phone: 466525,465496, 465054
Fax: 0755-463102
Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rcefwr@sancharnet.in

क्रमांक: 6-एमपीबी052/2005-बीएचओ/ 1007 दि॰ 19-05-2005

प्रति,

प्रमाण सहित,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल

विषय: देवास जिले में 11 के0वी0 सीतापुरी-खूंटखाल (भड़क) विद्युत लाईन के निर्माणार्थ 0.300 हे0 वनभूमि म0प्र0 विद्युत मंडल को उपयोग पर देने बाबत ।

महोदय,

कृपया मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्रांक एफ-4/16/2004/10-11/938 दिनांक 15.4.2005 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचारी करने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से देवास जिले में 11 के0वी0 सीतापुरी-खूंटखाल (भड़क) विद्युत लाईन के निर्माणार्थ 0.300 हे0 वनभूमि म0प्र0 विद्युत मंडल को वनेत्तर उपयोग के लिये प्रत्यावर्तित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर परिक्षेत्र देवास के कक्ष क0 30 में 0.600 हे0 बिगड़ी वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3. उपयोगकर्ता द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये आवश्यक धनराशि वनविभाग को पेशगी जमा करनी होगी ।

4. अ. परिषण लाईन का मार्ग संरेखण इस प्रकार किया जाये कि पेड़ों की कटाई कम से कम हो।

ब. वन क्षेत्रों के उपर खींची लाईन के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

स. वनभूमि पर पारेषण लाईन के अधिकृत मार्ग की अधिकतम चौड़ाई 3.00 मीटर होगी ।

द. प्रत्येक चालक के नीचे टेंशन स्ट्रिजिंग उपकरण को ले जाने के लिए 3 मीटर चौड़े क्षेत्रों में कटाई की अनुमति दी जायेगी । इस प्रकार की पट्टियों पर वृक्षों की कटाई की जानी होगी, परन्तु तार लगाने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात प्राकृतिक पुर्नजनन

.....2...

होने दिया जायेगा । जहां बिजली से संबंधित सफाई बनाए रखना आवश्यक हो, वहां स्थानीय वनाधिकारी की अनुमति से वृक्षों की कटाई/ठूंठ/छटाई की जायेगी । एक बाहरी पट्टी को साफ रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रख-रखाव किया जा सके ।

ई. अधिकृत मार्ग के भीतर शेष चौड़ाई में चालक और वृक्षों के बीच 2.6 मीटर की न्यूनतम सफाई रखते हुए विद्युत संबंधी खतरों के निवारण के लिए आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई अथवा छंटाई की जायेगी । न्यूनतम सफाई का निर्धारण करते समय चालकों के अवतलन एवं विस्तार का ध्यान रखा जायेगा ।

फ. पर्वतीय क्षेत्रों में पारेषण लाईन निर्माण के मामलों में, जहां पर्याप्त वृक्षहीन क्षेत्र पहले से उपलब्ध है, वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।

5. समादेश याचिका (सिविल) कमांक 202/95 के अंतर्गत आई0ए0 क0 566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30/10/2002 के अनुसार इस प्रत्यार्तित की जाने वाली 0.300 हे0 वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) उपयोगकर्ता से अग्रिम में वसूली जायेगी

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

7. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई भी शर्त ।

राज्य सरकार से शर्त संख्या 3 तथा 5 की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार इस वनभूमि के वनेत्तर उपयोग का औपचारिक आदेश इस कार्यालय को सूचित करते हुए जारी कर सकती है ।

भवदीय,

/

(डा0 एस0पी0 श्रीवास्तव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली ।
2. मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधि0, म0प्र0शासन, वन विभाग, भोपाल ।
3. वन मंडलाधिकारी(सामान्य), देवास (म0प्र0) ।
4. कार्यपालन यंत्री, एस0टी0सी0 संभाग, म0प्र0 राज्य विद्युत मंडल, शाजापुर (म0प्र0) ।
5. आदेश पत्रावली

(डा0 एस0पी0 श्रीवास्तव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

pca/order/tl/13